न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

अपील संख्या 26 / 2014
आरसीएमएस नं0 2014(00391)
रमेश कुमार दत्तक पुत्र गोविंदमल जाति सिंधी निवासी 7 वीं ए रोड़ सरदारपुरा।
——अपीलांट

बनाम

जीत सिह पुत्र श्री आत्मा सिह जाति रायसिख निवासी तलवाड़ा झील तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
–रेस्पोडेंट / वादी

अपील अर्न्तगत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
विरूद्ध निर्णय दिनांक 02.09.2013
द्वारा सहायक कलक्टर एवं उपखंड अधिकारी, टिब्बी
अनवान जीतसिंह बनाम गोविन्द मल आदि प्र. सं. 592 / 2013

उपस्थितिः–
श्री राजेश दीपराय, अभिभाषक अपीलार्थी
श्री दलवीर सिह, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या

निर्णय दिनांक 11.10.2022

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेण्ट सं0 1 ने उपखण्ड अधिकारी टिब्बी के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत एक वादपत्र प्रस्तुत किया। वादपत्र में कथन किया कि चक 4 टी.एल.डब्ल्यू. जमाबंदी संवत 2069–72 के खात संख्या 44 / 39 के पत्थर नं. 235 / 386 (20) किला नं. 17, 24 की 0.506 है0 खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी गोविन्दमल पुत्र श्री बंशीमल जाति सिधी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त कृषि भूमि पर वादी का कब्जा पिछले 20 वर्षों से शांतिपूर्वक बिना किसी बाधा के चला आ रहा है। उक्त कृषि भूमि के कब्जा के संबंध में प्रतिवादी गोविन्दमल ने आज तक कोई कार्यवाही नहीं की है। वादी ने अपने वाद पत्र में यह भी कथन किया कि उसका उक्त कृषि भूमि पर प्रतिकूल धारा परिपक्व हो चुका है। वादी ने प्रश्नगत भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित करने एवं राजस्व अभिलेख में अपना नाम दर्ज करवाने का अनुतोष मांगा। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी गोविन्दमल के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए वाद वादी अपीलाधीन निर्णय के द्वारा स्वीकार कर डिक्री किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री कतई गलत, विधि विरूद्ध तथा अनुचित है जो अपास्त होने योग्य है। अपीलाण्ट के पिता गोविन्दमल को प्रतिवादी के रूप में पक्षकार बनाया है जबकि गोविन्दमल 1999 में ही फौत हो चुका है जिसका ज्ञान रेस्पोडेण्ट/वादी को शुरू से ही रहा है लेकिन रेस्पोडेण्ट वादी ने जानबूण्कर मृतक व्यक्ति के विरूद्ध वाद पत्र प्रस्तुत किया है। वादी ने गोविन्दमल का पंजीबद्ध पता वाद पत्र में गलत दर्ज किया है। गोविन्दमल 1999 से पूर्व पुलिस लाईन राईका बाग जोधपुर के निवासी थे। रेस्पोडेण्ट ने जानबूझकर प्रतिवादी गोविन्दमल का गलत एवं अधूरा पता पेश किया है। रेस्पोडेण्ट ने कब्जा के संबंध में कोइ दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया हैं। कब्जा के संबंध के स्वयं के अलावा किसी भी स्वतंत्र गवाह को प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे साबित हो कि प्रश्गनत भूमि पर अपीलाण्ट का कब्जा बिना किसी रोक टोक के चला आ रहा है तथा प्रतिकूल धारण परिपक्व हो चुका हो। अपीलाधीन निर्णय का ज्ञान अपीलाण्ट को नहीं था पटवारी हल्का के पास गया तो पटवारी हल्का ने अपीलाण्ट को बताया कि प्रश्गनत भूमि रेस्पोडेण्ट के नाम दर्ज हो चुकी है तब अपीलाधीन निर्णय का ज्ञान हुआ। ज्ञान होते ही अपील प्रस्तुत कर दी है। अपील ज्ञान से अंदर मियाद है। अपीलाण्ट गोविन्दमल का दत्तक पुत्र है। अपीलाण्ट इस सम्बन्ध में दत्तक ग्रहण विलेख की प्रति जो नोटेरी पब्लिक से तस्दीक है को प्रस्तुत किया है। गोविन्दमल ने अपनी सम्पति की वसीयत अपीलाण्ट के पक्ष में निष्पादित की है। वसीयत के आधार पर अपीलाण्ट एक प्रभावित पक्षकार है। देरी क्षमा की जावे एवं धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना-पत्र एवं आदेश 41 नियम 27 सीपीसी का प्रार्थना-पत्र एवं अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि गोविन्दमल पुत्र श्री बंशीमल जाति सिंधी निवासी श्रीगांगनगर तहसील व जिला श्रीगांगनगर के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त कृषि भूमि पर वादी का कब्जा पिछले 20 वर्षों से शांतिपूर्वक बिना किसी बाधा के चला आ रहा है। उक्त कृषि भूमि के कब्जा के संबंध में प्रतिवादी गोविन्दमल ने आज तक कोई कार्यवाही नहीं की है। प्रश्नगत कृषि भूमि पर प्रतिकूल धारण परिपक्व हो चुका है। वादी ने प्रश्नगत भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित करने एवं राजस्व अभिलेख में अपना नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है। र गोविन्दमल के सम्मन रिकार्ड में दर्ज पते पर भिजवाये गये थे एवं जब अधीनस्थ न्यायालय ने डिक्री जारी की तब गोविन्दमल जीवित था श्रीगंगानगर में निवास करता था। गोविन्दमल की मृत्यु के बाद उसकी समस्त सम्पति अपीलाण्ट को औद हुई कतई गलत एवं निराधार है। अपीलाण्ट ने मिथ्या आधारों पर अपील पेश की है। विचारण न्यायालय का आदेश विधि सम्मत है। अपीलाण्ट के प्रार्थना-पत्र एवं अपील खारिज की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में 2017 (1)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

सीजे(सिव)(राज) पेज 38, 2021 (1) सीजे(सिव)(राज) पेज 303 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. सर्वप्रथम दफा–5 मियाद अधिनियम पर निर्णय किया जाना न्यायोचित है। अपीलांट ने गोविन्दमल की मृत्यु 1999 में होने के कथन किये हैं तथा स्वयं को गोविन्दमल का दत्तक पुत्र होना प्रकट किया है जबकि रेस्पोडेंट ने इन तथ्यों को इन्कार किया है। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री 02.09.2013 की है जबकि अपील अपीलांट 17.02.2014 की है। अपीलांट ने उक्त निर्णय व डिक्री का ज्ञान दिनांक 23.01.2014 को होने का कथन किया है। उक्त परिस्थितियों में उक्त अपील का निर्णय गुणावगुणों पर किया जाना न्यायोचित है। अतः अपीलांट का दफा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

7. धारा 96 सीपीसी के प्रार्थना पत्र में अपीलांट ने अपने आपको दत्तक पुत्र होने का उल्लेख किया है तथा उसे उपरोक्त भूमि अपने पिता गोविन्दमल से औद होने के कथन किये हैं तथा गोविन्दमल की मृत्यु 1999 में होने का कथन किया है। जबकि रेस्पोडेंट ने अपीलांट को गोविन्दमल के पुत्र होने व उसका दत्तक पुत्र होने के तथ्यों से स्पष्ट इन्कारी की है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वसीयतनामा में अपीलांट को दत्तक पुत्र दर्शाया गया है। उक्त परिस्थितियों में धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र भी स्वीकार किया जाता है।

8. धारा 41 नियम 27 सीपीसी पर बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलांट गोविन्दमल का दत्तक पुत्र है इस सम्बंध में गोविन्दमल द्वारा जो वसीयत निष्पादित करवाई गई उसमें दत्तक पुत्र होने का उल्लेख है जो अपील हाजा से सुसंगत दस्तावेज है जो रिकार्ड पर लिये जावे। रेस्पोडेंट ने इसका विरोध किया तथा निवेदन किया कि प्रश्नगत वसीयत अपीलांट की पत्नी के नाम है। अपीलांट दत्तक पुत्र नहीं है तथा प्रश्नगत वसीयत में प्रश्नगत भूमि का कोई उल्लेख नहीं है अतः प्रार्थना पत्र धारा 41 नियम 27 सीपीसी खारिज फरमाया जावे। आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के साथ संलग्न दस्तावेज अपील हाजा से सुसंगत होने के कारण रिकार्ड पर लिये जाते हैं।

9. अपीलांट का यह तर्क है कि 1999 में गोविन्दमल की मृत्यु हो चुकी थी। जबकि रेस्पोडेंट ने इस तथ्य को इन्कार किया है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वसीयत दिनांक 26.03.98 में अपीलांट गोविन्दमल का दत्तक पुत्र होने का उल्लेख है जबकि उक्त वसीयत अपीलांट की पत्नी के पक्ष में निष्पादित की गई है। हालांकि पत्रावली में प्रस्तुत दत्तक ग्रहण विलेख दिनांक 07.06.82 में हंसराज दत्तक पुत्र गोविन्दराम के रूप में दर्शाया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र पर जो कार्यालय रिपोर्ट हुई है उसमें सम्मन तलवाना संलग्न है, पर क्रोस है अर्थात सम्मन तलवाना प्रस्तुत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने नोटिस जारी करने के निर्देश किये लेकिन रेस्पोडेंट ने कोई नोटिस प्रस्तुत नहीं किये बल्कि सीधे ही रजिस्टर्ड डाक से

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

तामील दर्शायी है तथा गोविन्दमल का निवास स्थान श्रीगंगानगर दर्शाया है जबकि श्रीगंगानगर काफी बड़ा शहर है उसका वार्ड नम्बर, मोहल्ला के सम्बंध में कोई उल्लेख नहीं है। जबकि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज में गोविन्दमल का पता जोधपुर में दर्शाया गया है। रेस्पोडेंट द्वारा गलत पते पर तामील प्रेषित की गई है। चूंकि अपीलांट ने अपने आपको गोविन्दमल का दत्तक पुत्र दर्शाया है तथा उसने गोविन्दमल की मृत्यु होने के कथन किये हैं जिस पर अविश्वास नहीं किया जा सकता

10. अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 02.09.2013 को अपास्त किया जाकर पत्रावली इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि अधीनस्थ न्यायालय गोविन्दमल के सभी वारिसान को पक्षकार बनाते हुए व दत्तक विलेख दिनांक 07.06.82 में दर्ज व्यक्ति हंसराज पुत्र स्व. बंशीमल जाति सिंधी निवासी चौपासनी रोड़, जोधपुर को पक्षकार बनाते हुए व रेस्पोडेंट गोविन्दमल के सभी वारिसानं का आदेश 10 नियम 2 जाब्ता दीवानी के तहत परीक्षण कर वाद की आगामी कार्यवाही करते हुए पक्षकारों को जवाबदेही हेतु उचित अवसर प्रदान कर विवाधक विरचित कर व साक्ष्य लेकर विधि सम्मत निर्णय पारित करे। पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को लौटाई जावे।

11. निर्णय आज दिनांक 11.X.22 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

11/x/22

(करतारसिंह पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़